

उत्तर प्रदेश शासन
गृह (पुलिस) अनुभाग-9
संख्या-969/छः-पु0-9-16-31(07)/2016
लखनऊ: दिनांक: 07 जून,2016

उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1970(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-8, सन् 1971) में संशोधन की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) रजिस्ट्रार, मा0 उच्च न्यायालय,इलाहाबाद/लखनऊ।
- (2) समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
- (3) समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
- (4) समस्त जिला मजिस्ट्रेट, उत्तर प्रदेश।
- (5) पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- (6) महानिदेशक अभियोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- (7) समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
- (8) समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
- (9) समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।
- (10) निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को अधिसूचना की हिन्दी एवं अंग्रेजी प्रति जन साधारण के सूचनार्थ समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु।
- (11) निदेशक, एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ।
- (12) प्रभारी, गृह नियंत्रण कक्ष को गृह विभाग की वेबसाइट (uphome.gov.in) पर निर्गमन हेतु।
- (13) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

मणि प्रसाद मिश्र
सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
गृह (पुलिस) अनुभाग-9
संख्या-969/छः-पु0-9-16-31(07)/2016
लखनऊ: दिनांक: 07 जून, 2016

अधिसूचना
विविध

उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1970(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-8, सन् 1971) की धारा-2 के खण्ड (क) के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल समस्त अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन), समस्त अपर जिला मजिस्ट्रेट (वित्त एवं राजस्व) और समस्त अपर जिला मजिस्ट्रेट (नगर) को अपने-अपने जिलों के भीतर पूर्वोक्त अधिनियम के अधीन प्रदत्त जिला मजिस्ट्रेट की शक्ति का प्रयोग करने के लिए सशक्त करते हैं।

आज्ञा से
देबाशीष पण्डा
प्रमुख सचिव।

GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH
HOME (POLICE) SECTION-9

In pursuance of the provisions of clause (3) of article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no- 969/VI-P-9-16-31(07)/2016 dated June 07,2016

NOTIFICATION

(Miscellaneous)

No:-969/VI-P-9-16-31(07)/2016
Lucknow: Dated: June 07, 2016

In the exercise of power conferred under clause (a) of section-2 of Uttar Pradesh Control of Goondas Act, 1970 (U.P. Act No.8 of 1971), the Governor is pleased to empower all ADMs (Executive), all ADMs (F & R) and all ADMs (City) to exercise the power of District Magistrate conferred under the aforesaid Act within the purview of their respective districts.

By order

Debasish Panda
Principal Secretary